पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
मुख्यालय, 2–महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पत्रॉक : बैंकिंग / 2024–25 / एफ– 134/356

दिनॉक : 25 नवम्बर, 2024

संशोधित

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उ0प्र0।

विषयः **व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत कार ऋण के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्र सं0–बैंकिंग / 2024–25 / एफ–134 / 341, दिनांक–13.11.2024 में संशोधन के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक परिपत्र में कार लोन सम्बन्धी निम्नवत् दिशा निर्देश निर्गत हुए:–

''कार ऋण लेने के इच्छुक **सेवारत, गैर सेवारत तथा स्वयं का व्यवसाय करने वाले ग्राहकों / इच्छुक व्यक्तियों की आयु सीमा 55 वर्ष (विशिष्ट मामलों में अधिकतम 57 वर्ष) में संशोधन करते हुए कार ऋण वसूली की अवधि को 65 वर्ष** किये जाने का निर्णय लिया गया,'' जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

कार ऋण लेने के इच्छुक सेवारत, गैर सेवारत तथा स्वयं का व्यवसाय करने वाले ग्राहकों / इच्छुक व्यक्तियों की आयु सीमा 55 वर्ष (अधिकतम 57 वर्ष) में संशोधन करते हुए कार ऋण की वसूली हेतु आयु सीमा को 65 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य दिशा–निर्देश / प्रतिबन्ध पूर्व में निर्गत परिपत्रो के अनुसार यथावत लागू रहेगें।

उक्त दिशा–निर्देश परिपत्र निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

20.XI.24

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक, आईटी को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाईट पर उक्त परिपत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त महाप्रबन्धक / विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

20.XI.24

प्रबन्ध निदेशक